राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सी. आई. एन.)–U40102RJ2000SGC016484

पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि./का. एवं प्रशा. (संस्थापन)/प. 2(3) /प्रे. 215 दिनांक : 21/5/18

आदेश

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के मृत कर्मचारियों के निम्नांकित आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर उनके नाम के आगे अंकित पद पर प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के आगे इंगित अधिकारी के अधीन आगामी पदस्थापना हेतु रखा गया है :–

क्र. सं.	आश्रित का नाम एवं मृतक कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदनाम	जन्म दिनांक	अधिकारी जो पदस्थापन करेगें
1.	श्री विवेक पुत्र स्व. श्री मनजी	अनुसूचित जनजाति	सहायक द्वितीय	12.04.1995	अधीक्षण अभियंता (उत्पादन), बाँसवाड़ा
2.	श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री अजय सिंह	सामान्य	सहायक द्वितीय	05.11.1990	उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय), जयपुर

निगम के आदेश क्रमांक/ राराविउनि/का. एवं प्र./प 7th पीसी/प्रे 324 दिनांक 01.01.2018 द्वारा लागू नियमानुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक रुपये 12600/- देय होगा। परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगें। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे– मैट्रिक्स लेवल संख्या –2 में नियमानुसार मासिक वेतन 17900/– रुपये एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

नियम एवं शर्ते :–

1. नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा सेवाकाल में वृद्धि नियुक्त व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही की जायेगी।
2. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को प्राधिकृत चिकित्सक, जो जिला चिकित्सा अधिकारी (जिस जिले में कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है) के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना है। जिस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होगा एवं कार्य पर उपस्थित हो जावेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की पूर्ति (प्रतिभूति) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जावेगी।
3. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण–पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी :–

क. रूपये 500/– के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र, प्रपत्र–अ एवं जमानती के बतौर किसी केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी अथवा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारी से प्रपत्र–ब के अनुसार बॉण्ड/बाध्य पत्र।

ख. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।

ग. दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र।

शैड नं. 1, कमरा नं. 7, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर.–302005,

दूरभाषः 0141–2743184, फैक्सः 0141–2741352, ई–मेल :porvun@rediffmail.com, वेबसाइटः www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl

घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सम्मिलित)/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण–पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

ड. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

च. शपथ–पत्र – दिवगंत कर्मचारी का कोई भी आश्रित (पत्नि/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन पहल से ही नियोजित नहीं है। मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।

छ. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन पोषण करेगा एवं उनका उचित ढंग से ध्यान रखेगा।

ज. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह धूम्रपान एवं तम्बाकु/ गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

4. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

5. यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।

6. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।

7. i परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है।
   ii प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।
   iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव) देय होगा।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।

9. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नही होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।

10. उक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

12. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण–पत्र लिया जावेगा कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृति लाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सम्मिलित)/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण–पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

ड. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

च. शपथ–पत्र – दिवगंत कर्मचारी का कोई भी आश्रित (पत्नि/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन पहल से ही नियोजित नहीं है। मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।

छ. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन पोषण करेगा एवं उनका उचित ढंग से ध्यान रखेगा।

ज. बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह धूम्रपान एवं तम्बाकु/ गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

4. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

5. यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।

6. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।

7. i परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है।

   ii प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।

   iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव) देय होगा।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।

9. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नही होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।

10. उक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

12. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण–पत्र लिया जावेगा कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृति लाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

13. पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

14. यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

सम्बन्धित अधिकारी, नियुक्त कर्मचारी के कार्यग्रहण करने की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये।

आदेशानुसार,

21/5/2018

(आलोक शर्मा)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (तकनीकी/परियोजनाएं/वित्त), रारावियुनि, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (एच.एण्डजी.पी.) रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (उत्पादन), रा.रा.वि.उ.नि., बाँसवाडा को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि वर्णित व्यक्ति को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व पुलिस से चरित्र सत्यापन एवं अन्य दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वर्णित व्यक्ति का रिक्त पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करे। इसके साथ अभ्यार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है। कृपया इस अभ्यार्थी के चरित्र की जांच पुलिस से (पुलिस एन्टीसीडेन्टस) अपने स्तर पर भी करवा ले।
4. उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय), रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि वर्णित व्यक्ति को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व पुलिस से चरित्र सत्यापन एवं अन्य दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वर्णित व्यक्ति का रिक्त पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करे। इसके साथ अभ्यार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है। कृपया इस अभ्यार्थी के चरित्र की जांच पुलिस से (पुलिस एन्टीसीडेन्टस) अपने स्तर पर भी करवा ले।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (संस्थापन अंकेक्षण/ रोकड) रारावियुनि, जयपुर।
6. लेखाधिकारी (उत्पादन वृत्त), रारावियुनि, बाँसवाडा।
7. सहायक सचिव (पेन्शन), रारावियुनि, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता (वेबसाइट मोनेटरिंग), रारावियुनि, जयपुर को उक्त आदेश अपलोड करने हेतु।
9. श्री .....
10. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

21/5/2018

(विशाल मल्होत्रा)
कार्मिक अधिकारी (संस्थापन–द्वितीय)